रेरा के पेंच में फंसा फ्लैट और भूखंड का निबंधन

जागरण संवाददाता, पटना : रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अर्थात रेरा फ्लैट व जमीन का भूखंड खरीदने वाले के हितों की चिंता करती है। रेरा की ओर से सारे बिल्डरों का निबंधन अनिवार्य कर दिया गया है। बिहार में भी रेरा के नियमों को अक्षरशः लागू कर दिया गया है।

30 अगस्त से रेरा कानून लागू किया गया है। तब से आज तक पटना शहर ही नहीं पूरे राज्य में फ्लैट का निबंधन कार्य ठप हो गया है। इतना ही नहीं संस्थाओं अथवा डेवलपर की जमीन की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। कोई भी रेरा के तहत निबंधित नहीं है। पटना निबंधन कार्यालय की स्थिति यह है कि पिछले एक सप्ताह से दस्तावेजों के निबंधन की संख्या काफी कम हो गई है। पहले जहां रोजाना 125 से 130 दस्तावेजों का निबंधन हुआ करता था, जिनमें 70 से 80 दस्तावेज फ्लैट से संबंधित रहते थे। अब इनकी संख्या काफी कम हो गई है। पिछले एक सप्ताह में केवल पटना निबंधन कार्यालय को 20 करोड़ से अधिक के राजस्व पर असर पड़ा है। जिस फ्लैट का दोबारा निबंधन होना है उसके लिए रेरा की बाध्यता नहीं है। संस्थागत जमीन की खरीद-बिक्री भी बाधित है। राज्य सरकार की ओर से सभी निबंधन कार्यालयों को अधिसूचना जारी कर किसी भी तरह के फ्लैट निबंधन के लिए रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी बिल्डर बगैर रजिस्ट्रेशन कराए अपने फ्लैट की बिक्री नहीं कर सकता है।

30 अगस्त से नहीं हो सका है एक भी फ्लैट का निबंधन

पुराने फ्लैट के निबंधन में भी हो रही है परेशानी, किसी भी कंपनी अथवा संस्था की जमीन को बेचने के पहले रेरा का निबंधन अनिवार्य